

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र
दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 (असहायण 21, 1916)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर विभाग के अध्यक्ष श्री वि. वि. शर्मा द्वारा प्रश्नोत्तर सत्र का शुभारम्भ किया गया।
प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्नोत्तर विभाग के अध्यक्ष श्री वि. वि. शर्मा द्वारा प्रश्नोत्तर सत्र का शुभारम्भ किया गया।
प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्नोत्तर विभाग के अध्यक्ष श्री वि. वि. शर्मा द्वारा प्रश्नोत्तर सत्र का शुभारम्भ किया गया।

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री, परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे :-

- (क) क्रमांक एफ 22-1-89-आठ, दिनांक 6 अगस्त, 1994
(ख) क्रमांक 2338-2915-94-आठ, दिनांक 9 जून, 1994
(ग) क्रमांक एफ 22-118-93-आठ, दिनांक 8 जून, 1994

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री धावरचन्द गेहलोत, सदस्य, शासन द्वारा उज्जैन एवं मंदसौर के शक्कर कारखानों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री पुष्पराज सिंह, रघुराज सिंह तोमर, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रीवा सुधार न्यास के विघटन के बावजूद करोड़ों की निविदाएं जारी किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15-ग्वालियर के सदस्य, श्री रघुवीर सिंह को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र में दिनांक 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 1994 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -

- (क) ग्राम नीदिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) ग्राम सरई में स्नातक महाविद्यालय खोले जाने,
(ग) ग्राम भदौरा में हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जाने,
(घ) गोपद नदी पर पक्का पुल बनाये जाने, तथा
(ङ.) जमधर नदी से लिफ्ट इरीगेशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल की सेफिया एजुकेशन सोसायटी द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने,

(3) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले की नरेन नदी पर पुल बनाये जाने,

(4) श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, देवास जिले के सोनकच्छ नगर के पास नदी पर पुल बनाये जाने; तथा

(5) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम सोनाजोरी एवं लमडांड में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विधेयक कार्य

- निर्धारित समय 30 मि.**
- (1) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 42 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।
 - (2) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 38 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

- 2 घंटे (1) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1991, 1 जुलाई 1991 से 30 जून 1992, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 तथा वार्षिक लेखा-वर्ष 1992-93 पर चर्चा।
- 2 घंटे (2) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 पर चर्चा।

शीला खन्ना
 भोपाल : **सचिव,**
 दिनांक : 11 दिसम्बर, 1994 **मध्यप्रदेश विधान सभा**

उक्त कार्य के निम्नलिखित क्रम में प्रस्तावित किया जायेगा: (1) ...
 (2) ...
 (3) ...
 (4) ...
 (5) ...
 (6) ...
 (7) ...
 (8) ...
 (9) ...
 (10) ...
 (11) ...
 (12) ...
 (13) ...
 (14) ...
 (15) ...
 (16) ...
 (17) ...
 (18) ...
 (19) ...
 (20) ...